भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2890

(18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के तहत आरओएफआर पट्टाधारक

2890. श्री जी. लक्ष्मीनारायण:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के निर्धारित (एजेंसी) क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 150 दिनों के काम के लिए पात्र वन अधिकारों की मान्यता (आरओएफआर) पट्टाधारकों की कुल जिलेवार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान वास्तव में 150 दिनों का काम पाने वाले पात्र आरओएफआर पट्टाधारकों की संख्या वर्षवार कितनी है;

(ग) पात्र होने के बावजूद, आरओएफआर पट्टाधारकों की संख्या कितनी है, जिन्हें अभी तक अतिरिक्त 50 दिनों का काम नहीं मिला है;

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में आरओएफआर पट्टाधारकों को 150 दिनों का रोजगार प्रदान करने के लिए आवंटित, जारी और उपयोग किया गया कुल बजट कितना है ; और

(ङ) क्या सरकार ने इस प्रावधान के कार्यान्वयन में किसी कमी या चुनौतियों की पहचान की है और यदि हां, तो सभी पात्र लाभार्थियों को मनरेगा के तहत उनके पात्र कार्यदिवस प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005 प्रत्येक परिवार, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं उनको प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने का प्रावधान करने वाला

अधिनियम है। यह मंत्रालय वन क्षेत्र में प्रत्येक अनुसूचित जनजाति के परिवार को 50 दिनों के अतिरिक्त मजदूरी रोजगार (निर्धारित 100 दिनों से अधिक) के प्रावधान का अधिदेश देता है, बशर्ते कि इन परिवारों के पास वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) , 2006 के तहत प्रदत्त भूमि अधिकारों के अलावा कोई अन्य निजी संपत्ति न हो।

आंध्र प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत अतिरिक्त 50 दिनों के काम के लिए पात्र वन अधिकारों की मान्यता (आरओएफआर) पट्टा धारकों का जिलावार विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं	जिला	कुल आरओएफआर पट्टा धारक जो 150 दिनों के काम के लिए पात्र हैं
1	अल्लूरी सीताराम राजू	109511
2	पार्वतीपुरम मान्यम	33554
3	श्रीकाकुलम	10122
4	एलुरु	2009
5	नांदयाल	553
6	प्रकाशम	1884
7	पलनाडु	2200
	कुल	**159833**

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार।

(ख): पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में 150 दिनों तक काम करने वाले पात्र वन अधिकारों की मान्यता (आरओएफआर) वाले परिवारों की वर्षवार कुल संख्या नीचे दी गई है::

क्र.सं	वित्तीय वर्ष	150 दिनों तक काम करने वाले आरओएफआर परिवारों की कुल संख्या
1	2023-24	7551
2	2022-23	1185
3	2021-22	2649
4	2020-21	7781
5	2019-20	2928

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार।

(ग) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत कुल 55,726 आरओएफआर पट्टा धारकों को 50 दिनों का अतिरिक्त मजदूरी रोजगार अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ): महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग आधारित योजना है , इसमें मांग के आधार पर काम आवंटित किया जाता है। मजदूरी सीधे काम के आधार पर मजदूरी चाहने वालों के खाते में जारी की जाती है। हालांकि , वर्ष-वार मजदूरी व्यय (आरओएफआर पट्टा लाभार्थियों को अतिरिक्त 50 दिन का मजदूरी रोजगार) नीचे दिया गया है:

क्र.सं	वित्तीय वर्ष	व्यय (आरओएफआर पट्टा लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त 50 दिनों का वेतन रोजगार) (लाख रुपये में)
1	2023-24	2782.35
2	2022-23	375.89
3	2021-22	858.95
4	2020-21	2669.74
5	2019-20	892.28

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार।

(ड): महात्मा गांधी नरेगा योजना का कार्यान्वयन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने इस योजना के तहत इस प्रावधान को लागू करने में किसी भी तरह की कमी या चुनौतियों की सूचना नहीं दी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय योजना के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी और इस हेतु सहायता देना जारी रखता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पात्र लाभार्थियों को उनके हक के श्रमदिवस मिलें।